... पेश हो।

दिनांक	कार्यवाही
19/2/20	पत्रावली पेश हुई। ~~[illegible]~~ श्रीमान [illegible] महोदय [illegible] लॉकडाउन [illegible] पत्रावली दिनांक 28.10.2020 को पेश हो।
28.10.2020	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 13-1-21 को पेश हो।
13.1.21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 12-4-21 को पेश हो।
12.4.21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 14.7.21 को पेश हो।
12.4.21	वकील पक्षकारान उपस्थित है। साक्ष्यवादी मे गवाह पेश नही किये है। अवसर चाहा पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके है, अन्तिम अवसर दिये जाकर पत्रावली दिनांक 20.10.21 को पेश हो।
2/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट रजलावता में आज पेश हुई। वादी की ओर से अनीस मोहम्मद उपस्थित है। बहस सुनी गई। संक्षेप मे वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रालडी पटवार मण्डल रजलावता की भूमि खसरा

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प को[illegible] नोटिस जारी

अनीस मोहम्मद पुत्र मो० युसुफ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 25/4 रकबा 12 बीघा नया, 17 पुराना है जो वादी के पिता अलाबेली आ० चांद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नैनवां के आवंटित हुई थी। इस भूमि का खातेदारी का इन्तकाल वादी के पिता अलाबेली के नाम इन्तकाल सं. 204 दि० 16.6.92 को बाद जांच पटवारी व आईएल आर से करके खोला गया था। भूमि 8.6.67 को आवंटित हुई थी जिसका इंतकाल 1992 में खुला है, आवंटन से तीन वर्ष मे खातेदारी दे दिये जाने का प्रावधान है लेकिन इसका राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अमल नही किया गया। यह कि 3.8.94 को तहसीलदार नैनवां द्वारा गैरकानूनी रूप से इन्तकाल सं. 204 जो खातेदारी का वादी के पिता के नाम खोला गया है उसका अमल तहसीलदार नैनवां के द्वारा यह नोट लगा देने से कि आवंटी को सीधे खातेदारी नही दी जा सकती है अंकन कर इन्तकाल अमल को रोक दिया गया है, इस नोट को हटाया जावे तथा खातेदारी का इन्तकाल खोला गया है उसका अमल प्रतिवादी से जमाबंदी मे कराया जावे। अपने जवाब मे तहसीलदार नैनवां पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि दिनांक 01-10-2021 को ग्राम शालड़ी के खसरा नम्बर 433/25 रकबा 1.9416 हैक्टे. किस्म बंजड़ सिवायचक भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त खसरे पर वादीगण का कब्जा नही है। अन्य व्यक्तियों का कब्जा इस खाते [illegible] है। [illegible] शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड [illegible] पैरोकार सरकार आदि का अवलोकन किया। पैरोकार.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः आवंटन की शर्तों की पालना वादीगण द्वारा नहीं की गई। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested